GOVERNMENT OF INDIA (Bharat Sarkar)
MINISTRY OF RAILWAYS (Rail Mantralya)
(RAILWAY BOARD)

No. 2012/TG-I/20/P/Handicap **New Delhi, dated 16.11.2015**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

General Manager,
PRS/CRIS, Chanakyapuri,
New Delhi.

(Commercial Circular No. 67 of 2015)

Sub: Allotment of berths under physically handicapped quota.

As per extant instructions, handicapped quota of 2 berths in sleeper class (one lower and one middle) is earmarked for physically handicapped persons travelling on concession.

1.1 There are two types of handicapped persons who can book berth under this quota; one for whom it is compulsory to travel along with escort and the second for whom it is optional. Recently instances were brought to the notice of this office where the handicapped persons for whom it is optional to take an escort were not allowed to book single berth against this quota by some Railways since the second berth will go vacant as middle berth cannot be allotted to physically handicapped persons. This issue was also raised in Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities.

2. The matter has been accordingly examined and it has been decided as under:-

(i) There will be two types of handicapped quota of two berths each (one lower and one middle) in the same cabin; one for physically handicapped persons who can utilize concession only when accompanied by an escort and the second for those handicapped persons for whom it is optional to take an escort with them.

(ii) As for the former category it is compulsory to be accompanied by an escort, these berths can be booked by such category of handicapped persons booking tickets on concession on first come first serve basis.

(iii) For the later, where it is optional to be accompanied by an escort, if the first handicapped person intends to book berth along with escort, both the berths will be booked. However if the first handicapped person books without escort, the second berth will not be booked under handicapped quota and will be released to RAC/waitlisted passengers at the time of preparation of reservation charts.

(iv) Further, at the time of preparation of reservation charts, the unutilized lower berths under this quota can be released to physically handicapped passenger(of either category who were kept in general waiting list due to exhaustion of their quota), single senior citizen travelling alone on priority

and thereafter to waitlisted passengers as per priority. In case a single berth i.e. middle berth is left vacant in this quota of second category it will be released to RAC/waitlisted passengers.

(v) It has also been decided that whenever a physically handicapped person books ticket on concession and if no berth is available in handicapped quota, the system will automatically try to allot the lower berth to him/her and middle berth to escort subject to availability of same at the time of booking

(vi) CRIS will make necessary modifications in the software at the earliest but not later than 22.12.2015 under intimation to all Zonal Railways as well as to this office.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned. After provision of this facility by CRIS, wide publicity to above changes may be made for information of general public.

16/11/15

(Sanjay Manocha)
Dy. Director Traffic Commercial (G)-II
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, B 148, 11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2012/टीजी-I/20/पी/हैंडिकैप **नई दिल्ली, दिनांक 16.11.2015**

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

महाप्रबंधक,
पीआरएस/क्रिस, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली

(2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 67)

विषय: शारीरिकि रूप से विकलांग कोटा के अंतर्गत बर्थों का आबंटन।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार स्लीपर क्लास में 2 बर्थों (एक निचली और एक बीच की) का विकलांग कोटा, रियायत पर यात्रा करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित है।

1.1 दो तरह के विकलांग व्यक्ति होते हैं जो इस कोटा के तहत बर्थ बुक कर सकते हैं; एक तो वे जिसके लिए एक सहचर के साथ यात्रा करनी अनिवार्य है और दूसरे वे जिसके लिए यह वैकल्पिक है। हाल ही में इस कार्यालय के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जहां पर विकलांग व्यक्तियों जिनके लिए सहचर को ले जाना वैकल्पिक है, उन्हें कुछ रेलों द्वारा इस कोटा के तहत एक बर्थ बुक करने की अनुमति नहीं दी गई थी चूंकि ऐसे में दूसरी बर्थ खाली रहेगी क्योंकि बीच की बर्थ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आबंटित नहीं की जा सकती है। यह मामला नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की कोर्ट में भी उठाया गया था।

2. इस मामले की तदनुसार जांच की गई है और निम्नानुसार यह विनिश्चय किया गया है:-

(I) एक ही कैबिन में प्रत्येक के लिए दो बर्थों (एक निचली और एक बीच की) का दो तरह का विकलांग कोटा होगा; शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जो रियायत का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब वह किसी सहचर के साथ यात्रा कर रहे हों और दूसरा उन विकलांग व्यक्तियों के लिए जिनके लिए सहचर को साथ ले जाना वैकल्पिक है।

(ii) चूंकि पहली कोटि के संबंध में सहचर के साथ यात्रा करना अनिवार्य है, रियायत पर टिकटें बुक करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इन बर्थों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक कर सकते हैं।

(iii) दूसरी कोटि के लिए, जहां सहचर को साथ ले जाना वैकल्पिक है, यदि पहला विकलांग व्यक्ति सहचर के साथ बर्थ बुक कराना चाहता है तो दोनों बर्थें बुक कर दी जाएंगी। बहरहाल,

-2/-

यदि पहला विकलांग व्यक्ति बिना सहचर के टिकट बुक करता है तो दूसरी बर्थ विकलांग कोटा के तहत बुक नहीं की जाएगी और इसे आरक्षण चार्ट तैयार करते समय आरएसी/प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को आबंटित कर दिया जायेगा।

(iv) इसके अलावा, आरक्षण चार्ट तैयार करते समय इस कोटा की अप्रयुक्त निचली बर्थों को प्राथमिकता के आधार पर विकलांग यात्रियों को (दोनों में किसी कोटि के यात्रियों के लिए जिन्हें उनके कोटा का उपयोग होने के कारण सामान्य प्रतीक्षा सूची में रखा गया हो), अकेले यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिक को और तत्पश्चात् प्राथमिकता के अनुसार प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को आबंटित किया जाएगा। यदि एक बर्थ अर्थात् इस कोटा के अंतर्गत दूसरी कोटि की बीच की बर्थ खाली रह जाती है तो ये आरएसी/प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को आबंटित की जाएगी।

(v) यह भी विनिश्चय किया गया है कि जब कभी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति रियायत पर टिकट बुक करता है और यदि विकलांग कोटा के अंतर्गत कोई बर्थ उपलब्ध नहीं हो तो बुकिंग करते समय बर्थ उपलब्ध होने पर सिस्टम स्वत: ही विकलांग व्यक्ति को निचली बर्थ और उसके सहचर को बीच की बर्थ आबंटित करने का प्रयास करेगा।

(vi) क्रिस द्वारा शीघ्र ही परन्तु 22.12.2015 से पहले सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया जाएगा और इस कार्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय रेलों को इसकी सूचना दी जाएगी।

3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं। क्रिस द्वारा इस सुविधा का प्रावधान करने के बाद आम जनता की सूचना के लिए उपर्युक्त परिवर्तनों का व्यापक प्रचार किया जाए।

(संजय मनोचा)
उप निदेशक यातायात वाणिज्यिक (जी)-I।
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक एफ (सी), वि का अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
3) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टैट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली- 110001.
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वड़ोदरा।
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली,धनवाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।

- 3/-

7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ 226 001.

8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोर्ड, नई दिल्ली ।

9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।

10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।

11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।

12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

FACILITY EXTENDED TO HANDICAPPED PEROSNS